


16/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्पगोट
द्विगोर्निमा मे खस हुइ पत्रावली का प्रदलोक
लोक अदालत को मावना से किया गया।
-मापालक के पूर्व मे जारी स्थान आदेश
2/11/2018 को इन समोदन के साथ मूल
का के निवारण तक कम्पनी किया गया
है कि विचारित आराजी का बेचान नही
करे। फिलहाल राजस्व लोक अदालत कैम्प
गोट द्विगोर्निमा मे सुनाया गया।


MAD CAJ (Signature)

राज्यक कलक्टर एवं सहायक सप्लायर
द्विगोर्निमा (जयपुर)